207

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्रकरण कमांक रिव्यु —दो/16 Rev - 828 - II - 16

श्री रजनी वशिष्ठ शर्मा 250
द्वारा आज दि. 8/3/16 को
प्रस्तुत
8-3-16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

R.V.

पंछीलाल तनय भरोसा अहिरवार
निवासी ग्राम जिनागढ़, तहसील
बल्देवगढ़, जिला टीकमगढ, म0प्र0

.........आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन

........अनावेदक

रिव्यु आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959, बावत् माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर के प्रकरण कमांक 368–एक/15, पंछीलाल विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन में पारित आदेश दिनांक 26.10.15 के विरूद्ध प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 828-दो/2016 पुनरावलोकन जिला टीकमगढ़

...तथा ...क	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों हस्ताक्षर
31-5-16	यह पुनरावलोकन आवेदन तत्का.सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 368-एक/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-10-2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। 2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदक ने कलेक्टर टीकमगढ़ के समक्ष आवेदन देकर मॉग की थी कि ग्राम जिनागढ़ तहसील बल्देवगढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 1683/1 रकबा 0.801 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पटवारी अभिलेख में गोचर दर्ज है किन्तु मौके पर उसके व्दारा खेती की जा रही है इसलिये भूमि बंटन के उद्वेश्य से मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 234 सहपठित 237 के अंतर्गत गोचर मद से काविलकास्त मद में परिवर्तित की जावे। इस आवेदन पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 10 अ-21/12-13 पंजीबद्व किया तथा आवेदन के तथ्यों की जॉच कराते हुये आदेश दिनांक 12-12-2012 पारित करके आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व आवेदक ने राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर में निगरानी कमांक 368-एक/2015 प्रस्तुत की, जो तत्कालीन सदस्य व्दारा आदेश दिनांक 26-10-15 से निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के पुनरावलोकन हेतु यह आवेदन है। 3/ पुनरावलोकन में अंकित आधारों पर आवेदक के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 4/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क यह है कि जब ग्राम के	

XXXIx(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 828–दो/2016 पुनरावलोकन जिला टीकमगढ़

दिनांक तथा क्रमांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों / अभिभाषकों के हस्ताक्षर
	पंचगण, सरपंच जो एक तिहाई से अधिक है भूमि के मद परिवर्तन हेतु आपत्ति नहीं कर रहे है एंव मद परिवर्तमन का समर्थन कर रहे हैं तथा जॉच अधिकारी तहसीलदार बल्देवगढ़ एंव अनुविभागीय अधिकारी भूमि के मद परिवर्तन की अनुसॅशा कर रहे है एंव ग्राम में खेती के रकबे के मान से गोचर भूमि का रकबा अत्याधिक है तब निरन्तर खेती की जा रही भूमि के मद परिवर्तन की स्वीकृति न देना नियमानुकूल नहीं है किन्तु तत्कालीन सदस्य से आदेश दिनांक 26–10–15 पारित करते समय तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक 28–5–2003 तथा राजस्व निरीक्षक वृत्त वल्देवगढ़ के प्रतिवदन दिनांक 29–8–2003 के तथ्य नजरों से ओझल हो जाने से भूमि का मद परिवर्तन की अनुमति न देने में भूल हुई। अनावेदक के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि गोचर भूमि का मद परिवर्तन किसी एक व्यक्ति के आवेदन पर नहीं किया जा सकता। कलेक्टर टीकमगढ़ व्दारा आदेश दिनांक 12–12–12 मे लिया गया निर्णय सही है। उन्होंने कलेक्टर के आदेश को एंव तत्का. सदस्य व्दारा पारित आदेश को यथावत् रखे जाने का निवेदन किया। 5/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से वस्तुस्थिति यह है कि कलेक्टर टीकमगढ़ ने आवेदक के आवेदन पत्र पर प्रकरण कमांक 10 अ–21/12–13 पंजीबद्व किया है तथा आवेदन पत्र में अंकित तथ्यों की जॉच तहसीलदार बल्देवगढ़ से कराई है। प्रथमतः ग्रामीणों व्दारा एंव सरपंच व्दारा वादग्रस्त भूमि के मद परिवर्तमन में सहमति व्यक्त की है तथा तहसीलदार बल्देवगढ़ के प्रतिवेदन दिनांक	

3-9-2003 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्होंने प्रतिवेदन किया है कि ग्राम जिनागढ़ में खाते का रकबा 446.800 हैक्टर है एंव 2 प्रतिशन के माने से चरनाई रकबा 8.936 हैक्टर होता है जबकि ग्राम में वर्तमान में 37.319 हैक्टर रकवा चरनाई भूमि का उपलब्ध है इस प्रकार ग्राम मे 28.383 हैक्टर रकबा निर्धारित 2 प्रतिशन की सीमा से अधिक है। ऐसी स्थिति में आवेदक व्दारा आवेदित भूमि सर्वे कमांक 1683/1 रकबा 0.801 हैक्टर के मद परिवर्तन में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है और तहसीलदार बल्देवगढ़ का यही प्रतिवेदन अवलोकन हेतु ओझल रहने से आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी तत्का. सदस्य व्दारा आदेश दिनांक 26-10-2015 से निरस्त करने में हुई भूल प्रत्यक्ष दर्शी भूल है जिसके कारण ग्राम जिनागढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 1683/1 रकबा 0.801 हैक्टर के मद परिवर्तन में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर तत्का.सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 368-एक/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26-10-2015 एंव कलेक्टर जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 10 अ-21/12-13 में पारित आदेश दिनांक 12-12-2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव ग्राम जिनागढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 1683/1 रकबा 0.801 हैक्टर चरनाई मद से काविलकास्त मद में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस आदेश की एक प्रति अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ़ को संहिता की धारा 234 के अंतर्गत अमल कार्यवाही करने हेतु भेजी जावे।

सदस्य

3–9–2003 के अवलोकन पर पाया गया कि उन्हेंाने प्रतिवेदन किया है कि ग्राम जिनागढ़ में खाते का रकबा 446.800 हैक्टर है एंव 2 प्रतिशन के माने से चरनाई रकबा 8.936 हैक्टर होता है जबकि ग्राम में वर्तमान में 37.319 हैक्टर रकवा चरनाई भूमि का उपलब्ध है इस प्रकार ग्राम मे 28.383 हैक्टर रकबा निर्धारित 2 प्रतिशन की सीमा से अधिक है। ऐसी स्थिति में आवेदक व्दारा आवेदित भूमि सर्वे कमांक 1683/1 रकबा 0.801 हैक्टर के मद परिवर्तन में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है और तहसीलदार वल्देवगढ़ का यही प्रतिवेदन अवलोकन हेतु ओझल रहने से आवेदक व्दारा प्रस्तुत निगरानी तत्का. सदस्य व्दारा आदेश दिनांक 26–10–2015 से निरस्त करने में हुई भूल प्रत्यक्ष दर्शी भूल है जिसके कारण ग्राम जिनागढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 1683/1 रकबा 0.801 हैक्टर के मद परिवर्तन में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जाकर तत्का.सदस्य, राजस्व मंडल, म0प्र0 ग्वालियर व्दारा प्रकरण कमांक 388–एक/2015 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 26–10–2015 एंव कलेक्टर जिला टीकमगढ़ व्दारा प्रकरण कमांक 10 अ–21/12–13 में पारित आदेश दिनांक 12–12–2012 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एंव ग्राम जिनागढ़ स्थित भूमि सर्वे कमांक 1683/1 रकबा 0.801 हैक्टर चरनाई मद से काविलकास्त मद में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस आदेश की एक प्रति अनुविभागीय अधिकारी, बल्देवगढ़ को संहिता की धारा 234 के अंतर्गत अमल कार्यवाही करने हेतु भेजी जावे।

सदस्य